

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

Phone/Fax.No:- 05963-220006

Email ID:-pdpwdbgr@gmail.com

पत्रांक
सेवा में,

47/2500070

दिनांक : 14/02/2025

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर।

विषय :-

जनपद बागेश्वर में भाकडपन्त से ससोला होते हुए विजयपुर खन्तली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार के पत्रांक 8 बी०/यू०सी०पी०/०६/१९२/२०१५/एफ०सी०/१६८७ दिनांक १२.०१.२०१८

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार ०४ प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत् प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तों के अनुपालन आख्या

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन का आख्या
1	प्रयोक्ता अभियकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.312 है० ग्राम दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी उक्त भूमि वन भूमि के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण करने के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.312 है० ग्राम दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 12,01,603.00 मात्र (रू० बारह लाख एक हजार छः सौ तीन मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR NO U000000522974752 Dtd. 5-11-18 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.312 है० ग्राम दुलम का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश संख्या 169/छब्बीस -16 वन/2017-18 दिनांक 12.06.2018 द्वारा तहसीलदार कपकोट के पत्रांक 103 / र०का०/व०भू०ह०/2018 दिनांक 27.10.2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तांतरण /नामान्तरण कर दिया गया है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गए अदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन०पी०वी० की धनराशि रू० UTR NO U000000522974752 Dtd. 5-11-18 द्वारा रू० 14,16,492.00 मात्र (रू० चौदह लाख सोलह हजार चार सौ बयानब्बे मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)। आपके कार्यालय के पत्रांक 2506/ 12 - 1-2 बागेश्वर दिनांक 12.01.2023 द्वारा अतिरिक्त

		एन0पी0वी0 की मांग की गयी थी। जिसके अनुपालन में रू0 7,50,741.00 मात्र की धनराशि जमा की जा चुकी है। (चालान की प्रति संलग्न)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त जमा धनराशि किये जाने हेतु वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधियों (CA Cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाएं अन्य माध्यमो से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रू0 में मान्य नही होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम से जो चालान Genrate होता है। उसी के माध्यम से धनराशि UTR NO U000000522974752 Dtd. 5-11-18 द्वारा रू0 26,18,095.00 मात्र (रू0 छब्बीस लाख अठारह हजार पिचानबे मात्र) जमा की जा चुकी है। आपके कार्यालय के पत्रांक 2506/ 12 - 1-2 बागेश्वर दिनांक 12.01.2023 द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की मांग की गयी थी। जिसके अनुपालन में रू0 7,50,741.00 मात्र की धनराशि जमा की जा चुकी है अर्थात कुल धनराशि रू0 33,68,836.00 मात्र की धनराशि जमा की जा चुकी है।
5	सडक निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सडक के दोनो किनारे तथा Central Varge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करने होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt will provide scheme for planing 1000 tress in lieu of 1.00 ha. CA area (out of total 4.37 ha proposed CA area) falling in MDF as per guidelines dated 08.11.2017	Action taken form your end please.
7.	State Govt. will provide the hard copy of Village Level Committee proceedings of village Hatrasina.	ग्राम पंचायत बजीना, तोक हथरसिया की Village Level Committee बैठक की कार्यवाही की हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित है।
8.	State Govt. will submit Part IV & V of the proposal, in original.	उक्त कार्यवाही नोडल कार्यालय वन विभाग से की जानी है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नको सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत् स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करे।


 अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0विभाग,
 बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 12 / 2 ई. व. श्रु
सेवा में,

दिनांक 3 / 04 / 2022

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FPIUK/ROAD/11030/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/192/2015/एफ0सी0/1687 दिनांक 12.01.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तों के अनुपालन आख्या


क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.312 है0 ग्राम-दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.312 है0 ग्राम दुलम, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू0 26,18,095.00 मात्र (रू0 छब्बीस लाख अठारह हजार पिचानबे मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. U000000522974752 Dtd 5.11.2018 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.312 है0 ग्राम दुलम का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 169/छब्बीस-16 वन/2017-18 दिनांक 12.06.2018 द्वारा तहसीलदार कपकोट के पत्रांक-103/ र0का0 /व0भू0ह0/2018 दिनांक 27.10.2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. U000000522974752 Dtd 5.11.2018 द्वारा रू0 26,18,095.00 मात्र (रू0 छब्बीस लाख अठारह हजार पिचानबे मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है।

Received
दिनांक 03/11/22
बागेश्वर

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियों (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. U000000522974752 Dtd 5.11.2018 द्वारा रू0 26,18,095.00 मात्र (रू0 छब्बीस लाख अठारह हजार पिचानबे मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt will provide scheme for planning 1000 trees in lieu of 1.00 ha. CA area (out of total 4.37ha proposed CA area) falling in MDF as per guidelines dated 08.11.2017.	Action taken from your end please.

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न- सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,

 28.12.2022
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0
 बागेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/06/192/2015/एफ०सी०/1687

दिनांक: 12/01/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 936/FP/UK/ROAD/11030/2015
दिनांक 12.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/11030/2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.312 है० ग्राम-दुलम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide scheme for planting 1000 trees in lieu of 1.00 ha CA area (out of total 4.37 ha proposed CA area) falling in MDF as per guidelines dated 08.11.2017
7. State Govt. will provide the hard copy of Village Level Committee proceedings of village Hatrasia.
8. The State Govt. will submit Part IV & V of the proposal, in original.

अपर मुख्य सचिव
12/01/18

P.C. Attest
सहायक अभियन्ता
प्रन्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद, बागेश्वर में भाकड़पत से ससोला होते हुए विजयपुर -खन्तौली मोटरमार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 2.156 है० की दुगुनी अवनत भूमि 4.312 है० जो ग्राम दुलम राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-47 के पैमाईशी खेत नम्बर 4644 रकबा 13.313 है० मध्ये 4.312 है० भूमि जो श्रेणी 9 (3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या-2173/xviii (11) 2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा शासकीय पत्र संख्या संख्या 08 बी/यू०सी०पी०/06/192/2015/ एफ०सी०/1687 दिनांक 12.01.2018 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या - 169 / छब्बीस - 16 वन / 2017-18 दिनांक 12/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2- उपजिलाधिकारी, कपकोट।
- 3- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
- 4- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/ नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

वन भूमि (4.312)

15/6/18

P. C. Akhtar

सहायक अभियंता
प्रन्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

11/06/18
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या-103 / र०का० / वन भू०ह० / 2018 दिनांक 27 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।



विषय-

जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त 2.156 है० की दुगुनी अवनत भूमि 4.312 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या- 169/छब्बीस- 16 वन/2017-18 दिनांक 12/6/18 के अनुपालन में ग्राम दुलम राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 47 के पैमायशी खेत नं० 4644 रकबा 13.313 है० मध्ये 4.312 है० श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण दर्ज कर खतौनी उद्धरण मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :-

- (1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- (2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण प्रेषित।

वन विभाग कपकोट
11/11/18

तहसीलदार
कपकोट
P. C. Hester
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

उद्धरण गी० ज० वि० खातेनी

राज्य निर्माण विभाग लोकार्थित वही - जयपुर जिल्ला - राजस्थान

क्रमांक १३७ ज० ज०

क्रमांक	नाम लोकार्थित	माली खेत नम्बर	रकबा	लगायत जग्गा विवरण
५७	जगम	2622	6.745	<p>शुभा-डीमान जिला नदीयल कठिअर ऑफ ११ ६१/ इक्कीन कठ/ कठमडरामड/ ०२५ डि 24/4/05 के R.P. एवं तरफत के पा खेत नुमांदा रिपोर्ट न निर्माण पर लागू के बलाग कठमडरामड कठमडरामड के कठमडरामड खोला ४२ मीटर खुली कठ के कठमडरामड है नै वन पत्तोपत कठमडरामड कठमडरामड</p> <p>डीमान जिला/ डीनारी बगेश्वर के कठमडरामड 169/ इक्कीन - 16 वन / 2012-10 डि 12.6.11 के जग्गा बगेश्वर में भाकडपरत में सके खेत हुए विजयपुर खतोली नोडर म. के निर्माण में प्रयुक्त वन इति 2.15 है की दुगुनी कठमडरामड प्रति 4.21.2012 इत खेत के पैकारती खेत नम्बर 4644 रकबा 12.312 है मध्ये 4.21.2012 के जग्गा नोडर ए 2173/ XX III (1) 2012 - (120) / 2012 डि 17 डि 2012 एवं शासकीय पत्र संख्या ०० वी/ ११ वी पी ०६/ 192 / 2015 / एके एके / 1603 डि 12.01.2018 में ही गती शाले के कठमडरामड कठिअर हकारोपत हेरु वन निर्माण के पक्ष में नामान्तरित। इत्यान्तरित की</p>
		2623	2.158	
		2624	5.430	
		2625	2.200	
		कठमडरामड:		
		4640	5.253	
		4641	4.500	
		4642	3.000	
		4644	12.313	
		4646	0.125	
		4647	7.075	
		4653	1.313	
		4655	6.625	
	मोटा	29	162.193	

P.C. Attestat
 सहस्रक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड लोकार्थित
 जयपुर

राज्य निर्माण
 विभाग

जयपुर
 लोकार्थित

अधीन
 जयपुर
 18/10/18
 जयपुर निरीक्षक
 जयपुर

①

Vr NO 27 of S
1998-C

Core Treasury System (CTS UK)

E-Cheque Advise

Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CC8900180811180001 Date :01-NOV-18

Div Code : 1808	Division Name : Provincial Division P.W.D.
Grant No. : PAC	Scheme : 5054043370304 NV
Code : XXXXX1234C	Name : Utteranchal campa
Payment Type : Final Bill	Project Name : N.P.B PROJECTS PAYMENTS (P.V.5054048000307)

ALLOTTED AMT : 141321305 EXPENDITURE AMT : 90915626 REMAINING AMT : 50405679


To,
CTO/Sr.TO/TO/STO
Bageshwar

Please pay to Uttaranchal campa
Corporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No.150896111030231 as per detail below.

1. In Contractor Bank A/C	2618095
GST TDS (CPIN :)	0
Total Payment	2618095

Amount in words : (Rs. Twenty-Six Lac Eighteen Thousand Ninety-Five Only.)

Detail given above is checked by me personally and is correct,


 स्वाधिकार
 Signature with Seal
 नारायण चण्ड लो० वि० वि.
 बगेश्वर

DAO/Sr.DAO Provincial Division P.W.D. Bageshwar


 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो० वि० वि.
 बगेश्वर
 Executive Engineer PD PWD Bageshwar

P.C. Attestal


 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो० वि० वि०
 बगेश्वर

For Treasury Use

Voucher No.
Voucher Date. / /

ID :CC8900180811180001 Date :01-NOV-18

Passed Amount Rs. : 2618095.00	Payment Id : <input type="text"/>
Amount In words : (Rs. Twenty-Six Lac Eighteen Thousand Ninety-Five Only.)	
Bank Amount Rs. : 2618095.00	Amount By TC Rs. : 0.00

Accountant Signature

ATO Signature

CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

उत्तर प्रदेश शासन
विद्युत विभाग

Head of Account

AE 9.269 E

Form No. 28-HAND RECEIPT

(See Chap. XIP, Para 440, 446 and 460)

Issued for R/R

Cash Book Voucher No. 27

Date 27/11/2018

26180957

(1) Paid by Cheque/Cash/Rupees (26180957) to Sri U. TRANCHAL

RECEIVED for the F.E.P.D. P.W.D. in charge of P. S. ...

Sub-Division AE I Division the sum of

Rs. 26,18,095/- Name of work * or purpose of

which payment is made. ... 564/22 ... 2018-19

(Amount in Vernacular) ... 26,18,095/-

red used
No. 509/12
of ...

Date 20
Withses

अधिसापी अभियन्ता
प्रमुख लोक निर्माण विभाग
मगध

Stamp and Signature of Payee

U.T.R. NO. U000000522974752

Dtd - 05.11.2018.

P.C. Attestal

सहायक अभियन्ता
प्रमुख खण्ड लोक निर्माण विभाग
मगध

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 17-10-2018	
Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6111030231
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/192/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	2618095/-
Amount In Words :Twenty-Six Lakh Eighteen Thousand and Ninety-Five Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896111030231 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only This challan is valid only for seven days. 	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 17-10-2018	
Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6111030231
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/192/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	2618095/-
Amount in Words :Twenty-Six Lakh Eighteen Thousand and Ninety-Five Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896111030231 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only This challan is valid only for seven days. 	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

P.C. Attester
B
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोडि रोड
बागेश्वर

2.37

प्रपत्र- 43

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में आकाङ्क्षित मोटर मार्ग का ससोला होते हुए विजयपुर खन्तौली मोटर मार्ग के कि०मी० 1 में मिलान।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय / भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

P.C. Attested
सहायक आ०
प्रान्तीय खंड लो०नि०वि०
बागेश्वर


अधिसासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

2.13


परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत मोटर मार्ग का ससोला होते हुए विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 1 में मिलान।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

P.C. Attestal

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर


अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

नोट- उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



सेवा में, पत्राक 2506 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 12 / 1 / 2023

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बागेश्वर।

विषय - जनपद बागेश्वर में भाकड़पन्त से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.156 हे० वन भूमि में अतिरिक्त एन०पी०वी० धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ : - सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन०पी०वी० की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.01.2018 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पाँच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	घनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
एन०पी०वी०	2.156 हे०	5	0.2	1005210.00	21,67,233.00	14,16,492.00	7,50,741.00
कुल योग					21,67,233.00	14,16,492.00	7,50,741.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

अकड्डाएन्ट हे समोला होवे इश विजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6111030656
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/192/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	750741/-

Amount in Words : Seven Lakh Fifty Thousand Seven Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896111030656 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Executive Engineer
Prov. Division P.W.D
Bageshwar

NEFT RTGS CHALLAN

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6111030656
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/192/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	750741/-

Amount in Words : Seven Lakh Fifty Thousand Seven Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896111030656 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only



23/03/23

20